

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा  
पीठासीन अधिकारी:-डॉ.रविन्द गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -69/2006 (अपील)  
जीसीएमएस नं० 2006/00004

1. कन्हैयालाल पुत्र इंदनलाल जाति सिंधी निवासी रायपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायम मुकामान-
- 1/1 श्रीमती रूकमणी पत्नि स्व० कन्हैयालाल
- 1/2 श्रीहरीश परमाणी पुत्र स्व० कन्हैयालाल
- 1/3 आशा पुत्री स्व० कन्हैयालाल
- 1/4 मोहिनी पुत्री स्व० कन्हैयालाल
- 1/5 ममता पुत्री स्व० कन्हैयालाल

---अपीलान्ट.

बनाम

1. श्री गणेशलाल पुत्र श्री घीसा लाल जाति मेघवाल निवासी सी-10 बल्लभवाडी, कोटा राजस्थान
2. रामदेव पुत्र केसरा
3. रामनाथी पुत्री केसरा
4. ग्यारसी पुत्री केसरा
5. सम्पत्ति पुत्री केसरा
6. पन्नीबाई बेवा केसरा
7. कजोडीलाल आत्मज चन्दा
8. फूलचन्द पुत्र चन्दा मेघवंशी चमार
9. रामगोपाल पुत्र चन्दा मेघवंशी चमार
10. कजोडी बाई पुत्री चन्दा
11. मांगीबाई पुत्री चन्दा
12. सुशीला बाई पुत्री चन्दा
13. रामकन्या बेवा चन्दा
14. धन्ना पुत्र कान्हा
15. प्रभू पुत्र मंगला
16. पांच्या पुत्र मंगला

सर्व जातियान मेघवंशी चमार, निवासीगण रायपुरा जिला कोटा

---रेस्पोंडेन्ट.



अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध नामान्तरण सं० 116 दिनांक 03.01.2006 पटवारहल्का रायपुरा, तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,

उस्थित-

1. श्री भगवानदास परमाणी, अपीलान्ट नं० 1/2
2. श्री बी.पी.दाधिव, अभिभाषक अपीलान्ट नं० 1/1, 1/3, 1/4
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, वकील रेस्पोंड

निर्णय

दिनांक- 06.05.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम कंसुआ स्थित खाता संख्या 38 की भूमि खसरा नं० 207 की रकबा 0.56 का खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय करने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा० सं० 116 दिनांक 03.01.2006 से आदेश पारित किया है कि "तहसील आदेशानुसार मुताबिक बैयनामा व रिपोर्ट पटवारी के नामान्तरण, केता गणेशलाल के पक्ष में स्वीकार है।" बाबत आदेश पारित किया गया।

जिला कलेक्टर  
कोटा

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.04.2006 को लिमिटेड एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 4 बीघा जिसके सेटलमेन्ट के बाद के खसरा संख्या 207 रकबा 0.56 हे० ग्राम कंसुआ की तत्कालीन खातेदारान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7 अप्रैल 1964 को श्री केशरीलाल, चन्दालाल, प्रभूलाल, पांचूल धन्ना, पिसरान मंगला जाति बैरवा निवासीगण रायपुरा कोटा से खरीद की थी, जिसका विक्रय पत्र हम दोनों भाईयों के पक्ष में कार्यालय उप पंजीयक कोटा के यहां पर 21 अप्रैल 1964 को पंजीबद्ध हो रहा है । इस प्रकार कय की तिथि से उक्त आराजीयात पर हमारा स्वयं का कब्जा काशत चला आ रहा है तत्पश्चात उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए हमारे विरुद्ध एक वाद उप जिलाधीश कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नम्बर 144 दिनांक 28.4.1977 है उक्त वाद का निर्णय हमारे पक्ष में किया गया तत्पश्चात मेरे भाई भगवानदास आत्मज ईदन दास ने उक्त आराजी में निहित अपने हिस्से को मेरे पक्ष में दिनांक 20.12.1986 को रिलीज कर दिया । इस प्रकार अपीलान्त उक्त भूमि पर खरीद की तारीख से ही बहैसियत स्वामी काबिज होकर काशत कर रहा है । पूर्व खातेदार केशर,चन्दा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 13 है चूंकि जमाबंदी में पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज थे जिसका नाजायज फायदा उठाकर मृतक खातेदारान के वारिसान ने अपना नाम चुपचाप गलत तरीके से दर्ज करवा लिया तथा रेस्पो० संख्या 1को पूर्व में बेची गई जमीन को पुनः विक्रय कर दिया तथा तहसीलदार लाडपुरा ने क्रेता के नाम भूमि का नामान्तकरण दिनांक 3.1.2006 को तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्त को दिनांक 26.3.2006 को रेस्पो० नं० 1 द्वारा भूमि पर आकर यह कहने पर कि यह जमीन मैंने खरीद ली है तथा मेरे नाम खाते में दर्ज है । इस पर पटवारी हल्का से दिनांक 29.3.2006 को शाम को मिला दिनांक 30.3.2006 का अवकाश होने के कारण दिनांक 31.3.2006 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है । आदेश दिनांक 3.1.2006 वस्तु स्थिति एवं कानून के आधार भूत सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से खारिज होने योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । अपीलान्त फोट होने पर अपीलान्त के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिया गया । कायम मुकामान की ओर से अभिभाषक श्री बी.पी. दाधिच का वकालतनामा पेश हुआ, अपीलान्त नं० 2 की ओर से अभिभाषक भगवानदास परमाणी का भी वकालतनामा पेश हुआ जो उपस्थित है । रेस्पो० नं० 1 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता का एवं रेस्पो० नं० 2,7,8 व 15 की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल का वकालतनामा पेश हुआ, शेष रेस्पो० बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । वकील अपीलान्त व रेस्पो० नं० 1 के विद्वान अभिभाषक उपस्थित । शेष रेस्पोडेन्ट के वकील अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्त द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि खसरा संख्या 207 रकबा 0.56 हे० ग्राम कंसुआ की तत्कालीन खातेदारान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7 अप्रैल 1964 को श्री केशरीलाल, चन्दालाल, प्रभूलाल, पांचूलाल धन्ना, पिसरान मंगला जाति बैरवा निवासीगण रायपुरा कोटा से खरीद की थी, जिसका विक्रय पत्र हम दोनों भाईयों के पक्ष में कार्यालय उप पंजीयक कोटा के यहां पर 21 अप्रैल 1964 को पंजीबद्ध हो रहा है । इस प्रकार कय की तिथि से उक्त आराजीयात पर हमारा स्वयं का कब्जा काशत चला आ रहा है तत्पश्चात उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए हमारे विरुद्ध एक वाद उप जिलाधीश कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नम्बर 144 दिनांक 28.4.1977 है उक्त वाद का निर्णय हमारे पक्ष में किया गया तत्पश्चात मेरे भाई भगवानदास आत्मज ईदन दास ने उक्त आराजी में निहित अपने हिस्से को मेरे पक्ष में दिनांक 20.12.1986 को रिलीज कर दिया । इस प्रकार अपीलान्त उक्त भूमि पर खरीद की तारीख से ही बहैसियत स्वामी काबिज होकर काशत कर रहा है । पूर्व खातेदार केशर,चन्दा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 13 है चूंकि जमाबंदी में पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज थे जिसका नाजायज फायदा उठाकर मृतक खातेदारान के वारिसान ने अपना नाम चुपचाप गलत तरीके से दर्ज करवा लिया तथा रेस्पो० संख्या 1 को पूर्व में बेची गई जमीन को पुनः विक्रय कर दिया तथा तहसीलदार लाडपुरा ने क्रेता के नाम भूमि का नामान्तकरण दिनांक 3.1.2006 को तस्दीक



जिला कलेक्टर  
कोटा

कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्त को दिनांक 26.3.2006 को रेस्पो0 नं0 1 द्वारा भूमि पर आकर यह कहने पर कि यह जमीन मेने खरीद ली है तथा मेरे नाम खाते में दर्ज है । चूंकि यह भूमि पूर्व में ही खातेदारान द्वारा करीब 42 वर्ष पूर्व जर्ज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की जा चुकी थी तथा कब्जा भी अपीलान्त का चला आ रहा है फिर भी तहसीलदार लाडपुरा ने बिना तथ्यों की जांच किये आनन फानन में आदेश जेर अपील पारित किया है । जबकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पूर्व बेचान दिनांक 7.4.64 की जानकारी थी क्योंकि उसने धारा 175 रा0टीनेन्सी एक्ट के तहत न्यायालय एसीएम कोटा में वाद पेश किया था जो खारिज होकर तहसीलदार को हिदायत दी गई थी कि वह अपीलान्त को बेदखल नहीं करें । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 3.1.2006 पारित करने में भारी गलती की है । वकील अपीलान्त द्वारा मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 26.3.2006 को रेस्पो0 नं0 1 द्वारा देने तथा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर दिनांक 29.3.2006 को होना बताया है, जिसे कन्डोन की जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3.1.2006 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है ।

5. वकील अपीलांत नं0 2 द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 4 बीघा जिसके सेटलमेन्ट के बाद के खसरा नम्बर 207 रकबा 0.56 हे0 स्थित है । यह भूमि अपीलान्त ने तत्कालीन खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.4.1964 को श्री केशरीलाल, चन्दालाल, प्रभूलाल, पांचूलाल, धन्नालाल, पिसरान मंगला जाति बैरवा निवासीगण रायपुरा कोटा से खरीद की थी जिसका विक्रय पत्र अपीलान्त व उसके भाई भगवानदास के पक्ष में उप पंजीयक कोटा के यहां पंजीबद्ध हो रहा है । इस प्रकार क्रय की तिथि से उक्त आराजीयात पर बहैसियत स्वामी हमारा स्वयं का कब्जा काश्त चला आ रहा है । पूर्व खातेदारान की मृत्यु होने से वारिसान रेस्पो0 नं0 2 लगायत 13 ने जमाबन्दी में पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर मृतक खातेदारान के वारिसान ने अपना नाम चुपचाप गलत तरीके से दर्ज करवा लिया तथा अपीलान्त को पूर्व में बेची गई जमीन को पुनः विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 116 दिनांक 03.01.2006 स्वीकृत कर दिया गया है । चूंकि भूमि पूर्व में ही खातेदारान द्वारा करीब 60 वर्ष से भी अधिक समय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की जा चुकी थी तथा कब्जा भी अपीलान्त का चला आ रहा है फिर भी तहसीलदार लाडपुरा ने बिना कब्जे तथ्यों की जांच किये आनन फानन में आदेश दिनांक 3.1.2006 पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है । धारा 133 एल आर एक्ट में भी उल्लेख है कि तहसीलदार नामान्तरण तभी खोलेगा जब जिसके हक में नामान्तरण खुलना है उसका भूमि पर कानूनी कब्जा हो । वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन मानते हुये सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां 175 रा0टी0एक्ट के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसको एस0डी0ओ0 कोटा द्वारा अपीलांत के पक्ष में दिनांक 7.4.1964 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय होना वैध मानते हुए दिनांक 26.4.1977 को यह निर्णय दिया कि इस प्रकार के हस्तान्तरण के वाद प्रस्तुत करने की अवधि उस समय तीन साल थी तथा इसमें संशोधन हुआ वह भी दिनांक 23.4.1971 को हुआ है । ऐसी स्थिति में यह विक्रय अवैध भू हस्तान्तरण की तारीफ में नहीं आता है अतः प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धरा 175 दिनांक 26.4.1977 को खारिज करते हुए फैसला दिया एवं तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया था कि वह कन्हैयालाल को खरीदशुदा आराजी से बेदखल नहीं करें । उक्त आदेश के विरुद्ध आज तक किसी पक्षकार ने अपील नहीं की है । अपीलान्त व उसके भाई भगवानदास के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 7.4.1964 का था जो दिनांक 1.5.1964 के पूर्व के होने से उनके पक्ष में किये गये विक्रय पत्र शून्य नहीं था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2007 आर आर डी पेज 650, 2008(2) आरएलडब्ल्यू पेज 1192 व 1056 2007(2) आर आर डी पेज 1067, 1985 आर आर डी पेज 98, 1994 आर आर डी पेज 98, 1964 आर आर डी पेज 343 में यहीं सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दिनांक 01.05.64 के पूर्व किये गये विक्रय पत्र में धारा 42 (बी) का उल्लंघन नहीं होता है । वादग्रस्त नामान्तरण सं0 116 से संबंधित आराजी का जब द्वितीय विक्रय खातेदार द्वारा किया गया तो ऐसा विक्रय धोखाधडी की तारीफ में आने के कारण रेस्पो0 के विरुद्ध 420,406,120 बी आईपीसी के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुये एफ आई आर दर्ज कर जमानती वारन्ट से तलब किया है जो वर्तमान में माननीय



  
जिला कलेक्टर  
कोटा

न्यायालय अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय मजि० क्रम 2 कोटा के यहां जेरकार है । अपीलांट द्वारा दिनांक 7.4.1964 को ही भूमि खसरा नम्बर 207 ग्राम कन्सुवा खरीदी कर लिया था उस समय धारा 42 लागू नहीं होता । इस विषय में पत्रावली पर रूलिंग आरएलडब्ल्यू 2007 (2) आरजे पेज 1029 मौजूद है, जिसके अनुसार एक बार प्रोपर्टी खरीदने पर मालिकाना हक मालिक को मिल जाता है, उससे उस जमीन का मालिकाना हक छीना नहीं जा सकता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किया गया दिनांक 1.5.1964 से पूर्व का बेचान एवं "Agreement to Sale" Void ab initio नहीं है । गणेशलाल आत्मज घीसालाल के पक्ष में किया गया पश्चातवर्ती विक्रय पत्र दिनांक 7.10.2005 शून्य था ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर गणेशलाल को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार हांसिल नहीं होते है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 1979 आरआरडी पेज 386 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 4324/2015 भगवानदास बनाम गणेशलाल विचाराधीन है एवं राजस्व मण्डल द्वारा भूमि पर स्टे जारी किया हुआ है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 2.5.2024 नियत है । अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 3.1.2006 निरस्त फरमाया जावें ।

6. वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तकरण सं० 116 ग्राम कंसुआ दिनांक 3.1.2006 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया गया है । नामान्तकरण प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है । वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा आगे यह भी कहा कि अपीलांट द्वारा जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में अन्तर्गत धारा 92(ए) एवं धारा 188 का प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट भगवानदास परमानी के पक्ष में दिनांक 30.7.2008 डिक्री किया था उसे राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने तथा धारा 42 का उल्लंघन होना मानते हुए निर्णय दिनांक 15.4.2015 से निरस्त कर दिया गया है । उक्त वादग्रस्त भूमि के इसी नामान्तकरण के सम्बन्ध में इसी न्यायालय हाजा में अन्य अपील प्रकरण में दिनांक 17.3.2020 को निर्णय होकर नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत होने से नामान्तकरण सं० 116 में कोई त्रुटि नहीं पाई है । अपीलांट द्वारा जिस विक्रय पत्र दिनांक 7.4.64 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त करा अपने नाम कराना चाहते है उस विक्रय पत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने से धारा 42 का उल्लंघन होने से प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है । वकील अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार को कब्जे की जांच करनी चाहिये, अपितु आर. आर. डी. जुन-जुलाई 2003 पेज नं० 276 जब्बर सिंह बनाम डूंगरमल में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार रजिस्टर्ड सेल डीड का म्यूटेशन खोलते समय कब्जे के सम्बन्ध में जांच नहीं कर सकता है, वह नामान्तकरण खोलने के लिए पाबन्द है, इस प्रकरण में भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.1.2006 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 116 स्वीकृत किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्त फरमाई जावें ।

7. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । उक्त जेर अपील नामा० सं० 116 ग्राम कन्सुआ दिनांक 03.01.2006 के विरुद्ध दिनांक 01.04.2006 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो मियाद बाहर है किन्तु विलम्ब बताये गये कारण की दिनांक 26.3.2006 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कब्जा करने की धमकी देने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होना बताया है । चूंकि नामान्तकरण की कार्यवाही में अपीलांटगण पक्षकार नहीं होने से इसकी जानकारी उनको नहीं होना स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

8. उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। अपीलान्त ने उक्त विवादित जमीन उनके द्वारा पूर्व में 07.04.1964 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कय की जाना बताया है, किन्तु अपीलान्तगण सवर्ण के होने से तथा विक्रेतागण अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से जमाबंदी में विक्रेतागण का ही नाम दर्ज रहा, तथा पूर्व खातेदारान के फोट होने पर वादग्रस्त भूमि वारिसान के नाम दर्ज होने पर रेस्पोंडेन्टगण 2 लगायत 13 द्वारा इस भूमि का बेचान रेस्पों नं0 1 के पक्ष में कर दिया गया। अपीलान्त द्वारा इस सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में वाद प्रस्तुत किया जहां से निर्णय दिनांक 30.7.2008 से राजीनामे के आधार पर निर्णित किया गया किन्तु उक्त वाद में रेस्पों को पार्टी नहीं बनाया जाने से रेस्पों नं0 1 द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 30.7.2008 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में चेलेंज करने से निर्णय दिनांक 30.7.2008 को राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.04.2015 से निरस्त किया जा चुका है। वकील अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के संलग्न पटवारी हल्का रायपुरा की रिपोर्ट दिनांक 5.2.2024 अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि रेस्पों नं0 1 के नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वाद विचाराधीन है जहां से आदेश दिनांक 5.7.2016 से राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति को यथावात बनाए रखने का नोट खसरा नं0 207 पर अंकित होना जाहिर आया है। ऐसी स्थिति में इस अपील के जरिये अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। जैर अपील नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है, इस नामान्तरण प्रक्रिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तहसीलदार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरण खोलने के लिए पाबन्द है, इसी आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसे इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है। जैर अपील नामान्तरण की भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद चले हैं, तथा वर्तमान में भी राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन होना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में हक व अधिकार मूल वाद में ही तय होंगे। इस नामान्तरण प्रक्रिया में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामां सं0 116 ग्राम कंसुआ दिनांक 03.01.2006 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलेक्टर कोटा  
जिला कलेक्टर  
कोटा